दि0 18.09.2018 को मुख्यालय पर समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर की समीक्षा बैठक कार्यवृत्त

कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 द्वारा जोनवार समीक्षा बैठक में समीक्षोपरान्त सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर से निम्नवत कार्य बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये।

1. रिफण्ड एप्लीकेशन स्टेटस रिपोर्ट के विवरण की समीक्षा में यह प्रकाश में आया कि रिपोर्ट में ऑकड़े गलत प्रदर्शित हो रहें हैं। ऑकड़ों के शुद्धीकरण हेतु सुझाव दिया गया कि रिफण्ड माडयूल में ज्वा0 कमि0(कार्य0) के स्तर पर संशोधन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाये ताकि ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) अपने स्तर से कर निर्धारण अधिकारियों से प्राप्त तथ्यों/ऑकड़ों की जॉच करके शुद्ध करा सकेगें।

(कार्य0 समस्त जोनल एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(विधि))

2. **वाणिज्य कर विभाग, आपके द्वार** कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 71141 समाधान व्यापारियों का आच्छादित किया गया। जोन अलीगढ–2024, इलाहाबाद–2566, बरेली–1964, गाजियाबाद प्रथम–1798, गोरखपुर–2343 एवं झांसी–1475 की प्रगति अपेक्षाकृत कम है। कार्यक्रम की अवधि दिनांक 10–10–2018 तक बढ़ायी गयी है। प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये। जी0एस0टी0आर–3बी व जी0एस0टी0आर–4 के नॉन फाइलर के सभी मामलों में नियमानुसार अभियान चलाकर कार्यवाही करायी जाये। यदि व्यापार अस्तित्व में नहीं है तो उनके विरुद्ध पंजीयन निरस्त की कार्यवाही करायी जाये। समाधान के लिये अयोग्य व्यापारियों का परीक्षण कराते हुये नियमानुसार कार्यवाही करते हुये देय कर जमा कराया जाये। अधिकांश अधिकारियों द्वारा डीलर्स मानीटंरिग माडयूल में लॉगइन नहीं किया गया है। निर्देशित किया गया कि उक्त माडयूल में लॉगइन करके एम0आई0एस0 के विवरण का विश्लेषण करते हुये यथावश्यक कार्यवाही करें।
3. कर निर्धारण वादों के निस्तारण के विवरण एम0पी0आर0–9 के अनुसार वर्ष 2015–16 के 139178 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है। जोन नोएडा 15006, वाराणसी द्वितीय 13163, अलीगढ़ 11771, गाजियाबाद प्रथम 11599 में सर्वाधिक अवशेष है। यह स्थिति असन्तोषजनक है। कर निर्धारण वादों के निस्तारण में प्रगति लाई जाये और उनसे सृजित मांग को इसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का प्रयास किया जाये। ज्वा0कमि0(कार्य0) द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(बिन्दु 2 व 3 कार्य0 समस्त जोनल एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(निरीक्षण))

4. वर्ष 2014–15 के निस्तारित वादों से सृजित मांग की वसूली करायी जाये। वि0अनु0शा0 सन्दर्भित वर्ष 15–16 के वाद दि0 30–09–2018 तक एवं वर्ष 16–17 के वाद 31–12–2018 तक पूर्ण कराये जायें तथा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विवरण उपलब्ध कराये जायें। ज्वा0कमि0(कार्य0) द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(संग्रह/वि0अनु0शा0))

5. माह जुलाई–18 पेड अगस्त–18 का रिटर्न लगभग 21 प्रति0 व्यापारियों के द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। जोन वाराणसी प्रथम/द्वितीय, लखनऊ प्रथम/द्वितीय, गाजियाबाद प्रथम/द्वितीय, गोरखपुर, नोएडा, फैजाबाद एवं इलाहाबाद में 20 प्रति0 से अधिक नॉन फाइलर है, इस पर कमिश्नर महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निर्देश दिये गये कि अभियान चला कर शत–प्रतिशत रिटर्न फाइल कराया जाये अन्यथा नॉन फाइलर के विरुद्ध कार्यवाही करायी जाये।

(कार्य0 समस्त जोनल एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(धारा–59))

6. 01 अक्टूबर–2018 से जी0एस0टी0 के अन्तर्गत टी0डी0एस0 की व्यवस्था लागू की जा रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के सभी आहरण वितरण अधिकारियों को टी0डी0एस0 रजिस्ट्रेशन एवं कटौती के सम्बन्ध में प्रजेन्टेशन के साथ जागरुक किया जाये और प्रत्येक जनपद में टी0डी0एस0 की समस्याओं के समाधान के लिये जिला स्तर पर एक अधिकारी नामित कर दिया जाये, नामित अधिकारी का मोबाइल नं0 इस कार्य हेतु सार्वजनिक कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त टी0सी0एस0 (Tax Collection at Source) की व्यवस्था भी दि0 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हो रही है। अतः ई कार्मस

आपरेटर का पंजीयन कराया जाये और उनको भी पंजीयन, रिटर्न एवं देय कर जमा करने के प्रावधानों से अवगत कराया जाये।

(कार्य0 समस्त जोनल एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(जीएसटी))

7. प्रदेश में एक माह से अधिक पुराने धारा–31/32 के प्रार्थना पत्रों की अवशेष सं0 3488 है जबकि गत बैठक में स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी दशा में प्रार्थना पत्र एक माह से अधिक निस्तारण हेतु लम्बित न रहें। जोन नोएडा, कानपुर प्रथम, आगरा एवं मुरादाबाद में अच्छा कार्य किया गया। जोन लखनऊ प्रथम/द्वितीय, वाराणसी प्रथम/द्वितीय, इटावा फैजाबाद एवं झाँसी में 200 से अधिक प्रार्थना पत्र लम्बित हैं। यह स्थिति असन्तोषजनक है। किसी भी दशा में प्रार्थना पत्र एक माह से अधिक निस्तारण हेतु लम्बित न रहें।
8. मुख्यालय पर निर्धारित प्रारूपों में प्राप्त हो रहे बकाया सम्बन्धी आकड़ों व व्यास सेन्ट्रल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पर उपलब्ध आकड़ों में कोई तारतम्यता नहीं है। बकाया के विभिन्न मदों में जो ऑकड़े प्रदर्शित हैं, कई बार निर्देश देने के बावजूद भी उसे सही नहीं किया गया। प्रान्त बाहर प्रेषित की गयी आर0सी0 में निहित धनराशि रू0 1528 करोड़ दिखायी जा रही है, जबकि जो आकड़े पत्र से प्राप्त हुये हैं उनके अनुसार उक्त धनराशि मात्र रू0 300 करोड़ है। इसी प्रकार रू0 एक करोड़ से अधिक के मामलों में (एम0पी0आर0–5(1)) में रू0 700 करोड़ की बकाया दिखायी जा रही है, जबकि व्यास सेन्ट्रल से प्राप्त की गयी रिपोर्ट से उक्त धनराशि रू0 3000 करोड़ है। इसी प्रकार अन्य मदों में भी दिखायी जा रही धनराशियों में बहुत ज्यादा अन्तर आ रहा है। निर्देशित किया गया कि बकाया सम्बन्धी ऑकड़ों को प्रत्येक दशा में यथाशीघ्र शुद्ध करायें। अगले माह में ऑकड़े सही एवं शुद्ध प्रेषित किये जायें।
9. मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय में बकाया वसूली के विरूद्ध दायर मामलों में मा0 न्यायालय द्वारा वसूली स्थगित (स्टे) किये गये मामलों की सूची दि0 20.09.2018 तक एवं अन्य अपीलों से स्टे किये गये मामलों की सूची दिनांक 29.09.2018 तक मुख्यालय उपलब्ध करायी जाये ताकि उक्त मामलों में स्थगन समाप्त करने हेतु पैरवी करायी जा सकें। प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील स्तर पर स्टे में दर्शायी गयी आकड़ों का शीघ्र मिलान कराकर वसूली करायी जाये।
10. परिपत्र संख्या 1718002 दिनांक 13.04.2017 में सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर को अन्य प्रान्तों की बकाया वसूली हेतु प्रान्त आवंटित करते हुये अन्य प्रान्तों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को कमिश्नर, वाणिज्य कर की ओर से शीघ्र वसूली कराने के अनुरोध के साथ पत्र भेजेंगे, के जारी निर्देश का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये। अन्य प्रान्तों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों की प्रान्तवार सूची दिनांक 05.10.2018 तक मुख्यालय उपलब्ध करायी जाये।
11. दिनांक 01.01.2008 के पूर्व की ऐसी बकाया जो किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश से स्थगित/अवरूद्ध हो, को छोड़कर समस्त धनराशियों में वसूली/अपलेखन/आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराते हुए योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 31.12.2018 तक समाप्त करा दिया जाये।

(बिन्दु 7 से 11 कार्य0 समस्त जोनल एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(संग्रह))

12. माह अक्टूबर–2018 तक प्रदेश के सभी भटठों का सर्वेक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा भटठों का दूसरा सर्वेक्षण पथाई, भराई, फुकाई शुरु होने पर किया जाये। निर्देश का समयबद्ध अनुपालन किया जाये, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा प्रदर्शित टर्नओवर एवं सही देय कर जमा किया जा रहा है।

(कार्य0 समस्त जोनल एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(विधि))

13. वर्ष 2017–18 का वार्षिक कार्य विवरण प्रत्येक अधिकारी को ऑन लाइन अपलोड करना है। इस सम्बन्ध में स्थापना राजपत्रित अनुभाग के द्वारा प्रेषित पत्र सं0 2742 दि0 15–09–2018 का अनुपालन नियत दिनांक तक सुनिश्चित किया जाये।

14. कतिपय अधिकारी द्वारा EIS में अपनी नयी ज्वाइनिंग का विवरण नहीं भरा गया है। निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारियों को यह अवगत करा दिया जाये कि EIS में अपनी ज्वाइनिंग का विवरण अवश्य भर दें अन्यथा उनकी Login ID व Password ब्लॉक कर दिया जायेगा।

15. स्थापना राजपत्रित के पत्र सं0 2559 दिनांक 13–09–2018 से मांगी गयी अन्य पिछड़ी जातियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के जातियों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराया जाये।

(बिन्दु 13 से 15 कार्य0 समस्त जोनल एडी0कमि0 अनु0 ज्वा0कमि0(स्था0))

16. जोनल व अधीनस्थ कार्यालयों में वाहनों की समस्या हेतु निर्देशित किया गया कि सरकारी वाहनों के प्रत्येक कार्यालय में की गयी नीलामी के सापेक्ष वाहन की मांग का प्रस्ताव एक सप्ताह में मुख्यालय प्रेषित करें ताकि उसके सापेक्ष नये वाहनों की खरीद की कार्यवाही की जा सके। कार्यालय हेतु जनरेटर की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।

(कार्य0 समस्त जोनल एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 एडी0कमि0(प्रशा0))

बैठक के अन्त में राजस्व संग्रह वृद्धि हेतु हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित करने एवं शत प्रतिशत रिटर्न फाइल कराये जाने की अपेक्षा के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

यह कार्यवृत्त कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(ए0के0 शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0एस0कार्पो समीक्षा बैठक–18–19/466 /वाणि0कर(संख्या) दि0 1/10/ 2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उ0प्र0 शासन को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन/विधि/लेखा/जी0एस0टी0/एसटीएफ–1 व 2/आईएमयू) वा0कर, मु0।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह/धारा–59/निरीक्षण/संख्या/आई0टी0/विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. वारिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम/द्वितीय, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
6. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(मनोज कुमार तिवारी)
ज्वाइन्ट डायरेक्टर(संख्या), वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।